न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –213/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00378

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

धन्नालाल आत्मज नाराण जाति राव निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी (लाओलाद फोत)

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 13/08/2024

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम निमाना तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 1.12 हे0, 361/891 रकबा 0.16 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, तामिली रिपोर्ट पर गांव छोड़कर कहीं चले जाना बताया । इस पर हमने पटवारी हल्का से अप्रार्थी की तलबी एवं आवंटित भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट 2.6.2022 पत्रावली संलग्न है । अप्रार्थी लाऔलाद फौत होने तथा अन्य वारिसान जिला झालावाड़ में निवास करने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार संरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम निमाना तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 1.12 हे0, 361/891 रकबा 0.16 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जा रही है तथा मौका रिपोर्ट दिनां2.6.2022 अनुसार आवंटी लाऔलाद फौत होने से आवंटी के हक में किया गया भूमि आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को निमाना तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 1.12 हे0, 361/891 रकबा 0.16 हे0 कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । मौके पर आवंटित भूमि खसरा 327 रकबा 1.12 हे0, 361/891 रकबा 0.16 हे0 पर अन्य लोगो का कब्जा काश्त है । आवंटी लाओलाद फोत हो चुका है । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की है तथा आवंटी लाओलाद फोत होने से प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते हैं ।
5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम निमाना तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 1.12 हे0, 361/891 रकबा 0.16 हे0 का अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाता है । तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा